

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2251

दिनांक 12/10/2022

प्रार्थीगण :-

1. दूदाराम पुत्र खेराजराम
जाति मेघवाल
निवासी जाखड़ों की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. भेराराम पुत्र अर्जुनराम 2. कलाराम पुत्र हरजीराम
3. हड्डुमान पुत्र गोरधन 4. मूलाराम पुत्र ठाकराराम, जाति जाट
5. चैनाराम पुत्र खेराजराम, जाति मेघवाल,
निवासी जाखड़ों की ढाणी, तहसील चौहटन
6. तहसीलदार चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 45/2022

दिनांक : 12.10.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा जाखड़ो की ढाणी के खेत खसरा सं. 391/342 रकबा 02.5576 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2252 to 2255
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी दूदाराम
3. विप्रार्थीगण भेराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

—54—
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 12/10/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन